जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 64वीं बैठक दिनांक 18-8-2004 को सायं 5.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 1 वरिष्ठ नगर नियोजक (एम. पी.) द्वारा तैयार किया गया जिसका संकलित कार्यवाही विवरण:-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री डी.आर.मीणा, कार्यवाहक सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त भूमि (पश्चिम)जविप्रा, जयपुर।
4. श्री नीरज तिवाडी, कार्यवाहक वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी)जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी. अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा, जयपुर।
2. श्री गिरीराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती आशा अवस्थी, उप नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा सं0 1 :- ओझा जी का बाग ख.नं. 478, 479 एवं 480 रक्बा 5 बीधा 12 बिस्वा गांधीनगर मोड ग्राम भोजपुरा के कब्जेधारियों के भूखण्ड नियमन बाबत।

उपायुक्त, जोन 1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा का समिति ने अवलोकन किया। समिति को अवगत कराया गया कि ओझा जी के बाग कॉलोनी ग्राम भोजपुरा के ख.नं. 477, 478, 479, 480, 481 व 482 के भाग पर बसी हुई है। जिसमें ख. नं. 477, 481 की भूमि पर अनेक वाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है। ख. नं. 479 व 480 अवाप्तशुदा भूमि होने के कारण राज्य सरकार के परिपत्र 9.3.2000 एवं 16.2.2002 इन खसरों की भूमि पर स्थित भू. सं. 9 से 18, 21 से 30 तक के भूखण्डों को नियमन योग्य बताया गया। भू.सं. 1, 4 से 7, 35 से 43 का अधिकांश भाग विवादग्रस्त भूमि में होने के कारण नियमन योग्य नही बताया गया। भू. सं. 12 व 13 पर मंदिर व भू. सं. 24 पर स्कूल स्थित होने की जानकारी भी दी गई। उक्त एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया कि:-

1 सर्वप्रथम उपायुक्त, जोन द्वारा सम्पूर्ण ओझा जी के बाग योजना में कौन-कौन से खसरें स्थित है व इन खसरों में किस प्रकार का विवाद है, इस विवाद को किस प्रकार हल करते हुए भूखण्डों का नियमन किस प्रकार किया जा सकता है, के बारे में तथ्यात्मक विवरण आयुक्त महोदय को प्रस्तुत किया जावें।

2 ओझा जी का बाग योजना एक महत्तवपूर्ण स्थान पर स्थित है। अत: योजना के कुछ भूखण्डों का नियमन करने के स्थान पर सम्पूर्ण योजना का ले-आउट प्लॉन प्लॉनिंग नोर्म्स के अनुसार निदेशक (आयोजना) के निर्देशन में बनाया जावें। योजना में आतंरिक सड़कें कम से कम 30' सडक रखी जावें इसके लिये सडक से प्रभावित भूखण्डों में से कितनी-कितनी भूमि ली जानी

होगी इसकों चिन्हित किया जाने के पश्चात् ही योजना को अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2004/डी-130
दिनांक :- 27/8/2004

प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त भूमि (पूर्व)/(पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त जोन ..... जविप्रा, जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर